न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 19/2020 दायरा दिनांक : 24.02.2020

उनवान

श्याम बिहार आत्मज शिवलाल, जाति सुनार, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– उदयराम आत्मज नाथूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– हिम्मत बाई बेवा नाथूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– शांति लाल आत्मज सत्यनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– प्रभूलाल आत्मज सत्यनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5– लीलाबाई पुत्री सत्यनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.10.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – /प्रार्थना पत्र/2010 निर्णय दिनांक 23.03.2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट कम 1 के पिता नाथूलाल से दिनांक 07.07.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र उसके खाते की समस्त आराजी कीमतन कय की किन्तु सहवन से जमाबंदी संख्या 107 की 11 बिस्वा एवं जमाबंदी संख्या 108 की 4 बिस्वा आराजी विकय पत्र में दर्ज होने से रह गई क्योंकि यह आराजी गड्डेनुमा एवं अनुपयोगी थी, किन्तु वक्त खरीद से विकयकर्ता ने कब्जा अपीलांट को संभला दिया तब से निरन्तर, ऐलानिया, साधिकार बिना रोक–टोक रेस्पोडेंट्स के ज्ञान में शांतिपूर्वक कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है । विकयकर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसान ने इस आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया तो अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का दावा कर अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि मौके पर अपीलांट द्वारा खरीदे गये खसरा नम्बर व विवादित खसरा नम्बर मिले हुए हैं एवं एक चक बना हुआ है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर गड्डेनुमा व अनुपयोगी थे जिन पर अपीलांट ने काफी रूपया खर्च कर समतल किया है । अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर 1994 से आज तक निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है । विवादित आराजी पर यथास्थिति कायम रखना अति आवश्यक होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नहीं किया कि मौके पर अपीलांट द्वारा खरीदे गये खसरा नम्बर व विवादित खसरा नम्बर मिले हुए हैं एवं एक चक बना हुआ है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर गड्डेनुमा व अनुपयोगी थे जिन पर अपीलांट ने काफी रूपया खर्च कर समतल किया है । अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर 1994 से आज तक निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे । अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यू. एल. सी. 2015 (1) एच. सी. राजस्थान पेज 448 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जिस पर अपीलांट स्थगन आदेश चाह रहे थे उस वादग्रस्त आराजी के हम खातेदार है और खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खरीदी है जिसमें दो नम्बर सहवन से छूट गये इसका क्या प्रमाण है इस बाबत अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर मुताबिक रेकार्ड निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा